

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक— वि० प्रा० (III) ब³ -16/2016—

/पटना, दिनांक—

प्रेषक,

अतुल सिन्हा,

निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य,

राजकीय पोलिटेकनिक, भागलपुर/छपरा

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजना भिन्न (गैर योजना) बजट "मुख्यशीर्ष - 2203- तकनीकी शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष -00, लघुशीर्ष - 103- तकनीकी विद्यालय, मांग संख्या-43, उपशीर्ष -0001-प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" (विपत्र कोड- N 2203001030001) के अधीन अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, वित्तीय वर्ष 2016-16 में निर्गत आवंटनादेश संख्या- 20(आ), दिनांक 31.05.2016 के क्रम में विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन वेतन एवं भत्ते विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से दिनांक 31 मार्च 2017 तक नियमानुसार व्यय हेतु विभागान्तर्गत राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय मुंगेर एवं छपरा को कुल रु. 14,47,000=00 (चौदह लाख सैतालीस हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है--

(राशि रुपये में)

विषय शीर्ष	रा० म० औद्योगिक विद्यालय छपरा	रा० म० औद्योगिक विद्यालय मुंगेर	अतिरिक्त आवंटित कुल राशि
1	2	3	4
01 01 वेतन	330000	108000	438000
01 03 जीवन यापन भत्ता	870000	128000	998000
01 04 मकान किराया भत्ता	0	11000	11000
योग- वेतन एवं भत्ते	1200000	247000	1447000

(क)

(ख)

(ग)

(क) बारह लाख रुपये मात्र।

(ख) दो लाख सैतालीस हजार रुपये मात्र।

(ग) चौदह लाख सैतालीस हजार रुपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि(2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटन से न्यायालय से आच्छादित कसी तरह के मामलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा।

4. उक्त आवंटित राशि से नियमित भुगतान के उपरांत राशि शेष रहने पर बकाये वेतन एवं भत्ते का भुगतान नियमानुसार किया जा सकेगा।

5. उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषयशीर्षों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय।

6. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित आयोजना भिन्न, कोड संख्या सहित शीर्षों का नाम, मांग संख्या, विपत्र कोड तथा कुट

संख्या सहित विषय शीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

7. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/वि०, दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देशों का आक्षरशः अनुपालन किया जाय।

8. व्यय विवरणी टी० भी० नं० एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें।

9. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह. / -

(अतुल सिन्हा)

निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (III) ब³ -16/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

निदेशक

ज्ञापांक - वि० प्रा० (III) ब³ -16/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी मुंगेर एवं छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

निदेशक

ज्ञापांक - वि० प्रा० (III) ब³ -16/2016-

1120m1) /पटना, दिनांक-

13-12-016

प्रतिलिपि - माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक(यो.)/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.12.16
निदेशक

12/16

रूप - 13/12/16